

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांक प.2(31)नविवि/2017

जयपुर, दिनांक:- 02/11/17

आदेश

परिपत्र दिनांक 22.12.2014 से भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि संबंधित खातेदार को दिये जाने बाबत स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। जो इस प्रकार है:-

“अवाप्तशुदा भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।”

इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि नगरीय निकायों (नगर विकास न्यास, आवासन मण्डल व प्राधिकरण) स्तर पर अवाप्ति के बदले दी जाने वाली विकसित भूमि का पट्टा भी खातेदार को ही दिया जावे। पूर्व में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.11.2016 से आरक्षण पत्रों/आवंटन पत्रों के आधार पर हुये बेचान क लिए 3 माह की एक बारीय छूट दी गई थी। वह अवधि समाप्त होने से वह आदेश निष्प्रभावी हो गया है।


इससे आशय यह है कि खातेदार द्वारा आरक्षण पत्र का बेचान कर दिया गया है तो संबंधित क्रेता के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही नहीं की जावे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
02/11/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोय, नगरीय विकास, आवासान विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. नीजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासान विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)

9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजक भवन जेडीए जयपुर के पास।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


उप विधि परामर्शी


[Faint text, possibly a stamp or signature]


[Faint text and stamp, possibly a footer or additional information]